NOTICE

The patients, who want to take medicine for more than the usual one month's quota, should apply to the Hospital authority, addressing CMO with the reason for not being able to attend OPD every month, with evidence.

The patients, who wish to avail medicine without attending OPD physically, should apply to the Hospital authority, addressing CMO, with the disease and treatment record in support of their disability. During collection of prescription from the OPD, it is compulsory to produce a current prescription of local doctor, mentioning the Pulse and Blood pressure.

The application should be submitted to CMO's office and after sanction by the designated committee should be collected personally. Without proper sanction letter, no patient will be granted medicines out of the usual protocol.

Sedative medicines however in all cases will be supplied for a maximum period of one month only.

सूचना

जो भी मरीज़ सामान्यत; एक महीने के कोटे से अधिक दवा लेना चाहते हैं, उन्हें सीएमओ, अस्पताल प्राधिकारी को संबोधित करते हुए हर महीने ओपीडी में उपस्थित न हो पाने के कारण एवं सबूत के साथ आवेदन करना चाहिए।

जो मरीज ओपीडी में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना दवा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपनी विकलांगता के समर्थन में बीमारी और उपचार रिकॉर्ड के साथ सीएमओ को संबोधित करते हुए अस्पताल प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। ओपीडी से पर्चा लेने के दौरान स्थानीय डॉक्टर का मौजूदा पर्चा दिखाना अनिवार्य है, जिसमें पल्स और ब्लड प्रेशर का उल्लेख हो।

आवेदन सीएमओ कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए और उल्लिखित समिति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही व्यक्तिगत रूप से हासिल किया जाना चाहिए। उचित मंजूरी पत्र के बिना, किसी भी मरीज को सामान्य प्रोटोकॉल से बाहर दवाएँ नहीं दी जाएंगी।

सभी मामलों में शामक दवाएँ अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए ही आपूर्ति की जाएंगी।

নোটিস

রোগীরা, যারা স্বাভাবিক এক মাসের কোটার বেশি ওষুধ নিতে চান, তাদের প্রতি মাসে ওপিডিতে উপস্থিত হতে না পারার কারণ, প্রমাণসহ সিএমও, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কে সম্বোধন করে আবেদন করতে হবে।

রোগীরা, যারা শারীরিকভাবে OPD-এ উপস্থিত না হয়ে ওমুধ পেতে ইচ্ছুক, তাদের অক্ষমতার সমর্থনে রোগ এবং চিকিৎসার রেকর্ড সহ সিএমও-কে সম্বোধন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। ওপিডি থেকে প্রেসক্রিপশন সংগ্রহের সময়, নাড়ি এবং রক্তচাপ উল্লেখ করে স্থানীয় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখানো বাধ্যতামূলক।

আবেদনটি সিএমওর অফিসে জমা দিতে হবে এবং বিশেষ কমিটির অনুমোদনের পরে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে হবে। যথাযথ অনুমোদনপত্র ছাড়া কোনো রোগীকে স্বাভাবিক প্রটোকলের বাইরে ওমুধ দেওয়া হবে না।

সব ক্ষেত্রেই ঘুমের ওষুধ সর্বোচ্চ এক মাসের জন্য সরবরাহ করা হবে।